न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर), पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.
विविध प्रकरण संख्या : 04/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि आवाप्ति), जरिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली, जिला पाली		1. तुलसीदेवी पत्नी श्री लक्ष्मणराम गहलोत, निवासी सोजत सिटी, जिला पाली, राज.
2. मुख्य अधिकारी,एन.एच.ए.आई कार्यालय टेगोर नगर, पाली		2. गंगादेवी पत्नी नेमीचंद माली, निवासी सोजत, सोजत सिटी, जिला पाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47 (1) सपठित धारा 151 सी.पी. सी.

उपस्थित :–प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सतीष ओझा।
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन राठौड़।

::: आदेश :::

दिनांक :– 11.02.2020

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47(1) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत कर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2015 बनवान तुलसीदेवी वगैरा बनाम प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ती पाली वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 24.07.2018 का पुनर्विलोकन करने हेतु पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर संबधित प्रकरण संख्या 11/2015 की पत्रावली तलब की गई एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पत्रावली के संबध में बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र पत्रावली में वर्णित ग्राम सोजत के खसरा नम्बर 2066/11 की भूमि का राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि गैर मू0 मेहन्दी दर्ज होने से तथा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नही होने से जो मुआवजा निर्धारित किया गया है वह न्यायोचित है तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थी द्वारा राशि का भुगतान जरिये चैक स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए इसके पश्चात आवासीय मान कर अन्तर राशि के भुगतान का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है उसे पुनर्विलोकित किया जाना न्यायोचित है, सम्बधित खातेदार तुलसी वगैरा द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के पश्चात जारी पट्टे का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही कराया इस वजह से राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तदनरूप भुगतान किया गया है, इस न्यायालय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि की दर से मुआवजा तय किया जाकर उसके भुगतान के आदेश पारित किए गए है जो न्यायोचित नही होने से प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.7.2018 का पुनर्विलोकन फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो भुगतान का निर्धारण किया गया वह कृषि भूमि की दर से किया गया है जबकि जैर प्रार्थना पत्र आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण 1996 में ही उपखण्ड अधिकारी (भुमि रूपान्तरण) पाली द्वारा किया जा चुका था तथा 2002 में भवन निर्माण स्वीकृति भी

जिला कलेक्टर, पाली

न0पा0 सोजत से ली जाकर उस पर निर्माण कार्य कराया गया था। मात्र तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही करने से प्राधिकृत अधिकारी भूमि आवाप्ती(अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा भूमि का राजस्व रेकार्ड अनुसार मुआवजा कृषि भूमि मानकर निर्धारण कर दिया गया तथा आवासीय भूमि मानने से रजामन्द नही हुए, जबकि भूमि पर निर्माण सरंचना के मुआवजा की गणना कर कुल 363000/–रू दिया गया उसका भुगतान 121000 के हिसाब से तीनो खातेदारों को बराबर –बराबर भुगतान किया गया। तथा इसी को आधार मानकर पूर्व आदेश पारित किया गया है तथा इस तथ्य के मध्यनजर किया गया कि तहसीलदार सोजत द्वारा संपरिवर्तन आदेश का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नही करने का खामियाजा प्रार्थीगण (खातेदार) भुगते यह न्यायोचित नही है न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 11/2015 बअनवान तुलसीदेवी वगैरा बनाम प्राधिकृत अधिकारी वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2018 विधि सम्मत होने से उसका पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थी द्वारा अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में विधि आधारित त्रुटी होने बाबत कोई आपत्ती पेश नही की गयी है। जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2005(2)डीएनजे(राज) 722 की प्रति प्रेषित करते हुए निवेदन किया कि पुनर्विलोकन याचिका में नए अभिवाक नही उठाये जा सकते है। तथा अभिलेख के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटी नही होने से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस को ध्यानपुर्वक सुना एवं मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एवं पूर्व निर्णित पत्रावली संख्या 11/2015 का व उसमे पारित निर्णय दिनांक 24.07.2018 का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सोजत के खसरा नम्बर 2066/11 का भूमि अवाप्ती अधिकारी अति. जिला कलेक्टर, पाली द्वारा एन.एच 14 हेतु मुआवजा निर्धारण कर भूमि आवाप्त की गई है। उक्त भूमि का संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपा0) पाली द्वारा सन् 1996 में ही किया जा चुका था एवं उसका आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख 741/96 दिनांक 28.06.1996 को जारी किया जा चुका था, तथा उक्त भूमि पर नगर पालिका सोजत से 19.02.2002 को निर्माण स्वीकृति भी ली जाकर उस पर निर्माण कार्य भी करवाया गया था जिसमे से 650 वर्गफिट भूमि प्राधिकृत अधिकारी भूमि आवाप्ती द्वारा आवाप्ती की गई। जो राजमार्ग हेतु आवाप्त की गई है उक्त भूमि पर निर्मित संरचना जिसके नम्बर प्राधिकृत अधिकारी एवं एन.एच.ए.आई. द्वारा सरंचना संख्या 413 खसरा नम्बर 2066/11 में माने गए तथा निर्माण के मुआवजा का निर्धारण प्रत्येक खातेदार के हक मे 121002/–रू प्रति खातेदार के हिसाब से तीनों खातेदार तुलसी, गंगादेवी, व जगदीश के हक में 1/3 हिस्से के कुल 363007/– रू का निर्धारण कर जरिये चैक भूगतान किया लेकिन भूमि का मुआवजा आवासीय सपंरिवर्तन के पश्चात भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से कृषि भूमि का पारित कर देने के कारण ही पूर्व आदेश आवासीय भूमि मानकर मुआवजा निर्धारित कर भुगतान के आदेश दिय गए थे जो एक सुविचारित निर्णय होने से उसका पुनर्विलोकन किया जाना न्यायोचित नही है। आर.एल.आर. नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 200 फुट तक भूमि को कानूनन कृषि कार्यो में संपरिवर्तन नही किए जाने बाबत कथन किया गया जो नया अभिवाक है, तथा अधिवक्ता अप्रार्थी तुलसी वगैरा के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अनुसार नये अभिवाक नही उठाये जा सकते है। इस प्रकार पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2018 के संबध में तथा अभिलेख के आमुख पर किसी प्रकार की प्रत्यक्ष त्रुटी परिलक्षित नही होने से पारित निर्णय एक सूविचारित निर्णय है।

जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा पूर्व में इसी न्यायालय के विविध प्रकरण सख्या 11/2015 बअनवान तुलसीदेवी वगैरा बनाम प्राधिकृत अधिकारी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2018 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
(आरबीट्रेटर)

जिला कलेक्टर, पाली